



दीन बंधु सर छोटूराम

जाट



लहर

जाट सभा, चण्डीगढ़ के सौजन्य से प्रकाशित


वर्ष 20 अंक 10

30 अक्टूबर, 2020

मूल्य 5 रुपये

प्रधान की कलम से

बेचारा किसान



डा. महेन्द्र सिंह मलिक

किसान मसीहा दीन बंधु चौ० छोटूराम ने बेचारा किसान पत्रिका सन 1930 में जारी की थी और वर्ष 1937 में आजादी के पूर्व के संयुक्त भारत के समय अंबाला छावनी (वर्तमान हरियाणा) में विशाल जन समूह को संबोधित करते हुए अंग्रेजी हकूमत को किसानों की पीड़ा बारे चेतावनी के लहजे में उर्दू के मशहूर शायर डा० सर मोहम्मद इकबाल के शब्दों में इस प्रकार सचेत कराया था "जिस खेत में म्यसर ना हो दो जून की रोटी, उस खेत की गोसा-ए-गंदम को जला दो।" आज फिर राष्ट्र का समस्त किसान वर्ग अपनी बेचारगी (पीड़ा) की आवाज को बुलंद करने हेतु दीन बंधु चौ० छोटूराम व जन नायक स्व० तारु देवीलाल जैसे किसान हितैषी कदावर किसान नेता की इंतजार में है।

दीन बंधु चौ० छोटूराम कहते थे कि अगर कोई सच्चा व ईमानदार व्यक्तित्व है तो वह किसान है जो अपनी खून पसीने की कमाई से सब का पेट पालता है। किसान-काशतकार आरम्भ से ही अपने हितों के लिए संघर्ष करता रहा है लेकिन उसकी आवाज को सदैव दबाया जाता रहा उनके हितों की पैरवी करने वाले कोई दबंग व निष्पक्ष नेतृत्व नहीं है। जन नायक चौ० देवीलाल ने वर्ष 1987-88 में प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए किसान काशतकार के हितों के लिए केंद्रीय कांग्रेस सरकार के विरुद्ध समस्त भारत में विशेषकर उत्तरी भारत में रास्ता रोको अभियान के तहत विशाल जन आंदोलन चलाया था। लेखक उस समय मुख्यमंत्री के साथ बतौर गुप्तचर विभाग प्रमुख कार्यरत थे। आंदोलन के दौरान समस्त उत्तरी भारत में रेल रोको आंदोलन भी चला था। लेखक ने गुप्तचर विभाग प्रमुख के नाते चौ० देवीलाल को प्रदेश के मुख्य सचिव व गृह सचिव के निर्देशों का हवाला देकर कहा कि आप रेल रोको आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि सरकार ने रेल रोकने पर पाबंदी लगा दी है और यह न्यायालय के आदेश की भी अवमानना होगी। इस पर चौ० देवीलाल ने तपाक से अपनी बागड़ी भाषा में कहा "थे अदालत के कर सो" और अपनी कमीज पीछे से उठाकर बोले थे अवमानना के मेरी कड़ पे लिखोगें। मैं मुख्यमंत्री से पहले किसान का बेटा हूँ और किसानों के

हित के लिए मैं अपने प्राण भी त्याग सकता हूँ। इसी प्रकार स्व० चौ० चरण सिंह वर्ष 1978 में जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री व केंद्रीय गृह मंत्री थे और वे हरियाणा में सुरजपुर में टुरिस्ट कांप्लेक्स में कुछ दिन स्वास्थ्य लाभ के लिए रुके हुए थे तो लेखक वहां पर बतौर प्रदेश के गुप्तचर विभाग प्रमुख विराजमान थे। एक दिन शाम को चौधरी साहब रोहतक से आए किसानों के प्रतिनिधि मंडल से बतिया रहे थे। किसानों ने कहा कि गन्ने की बहुत बेकदरी हो रही है और उचित दाम नहीं मिल रहा है। इस पर तपाक से चौधरी साहब ने अपनी सिर से टोपी उतारकर गुस्से में कहा कि "मेरे सिर पर गन्ने की बिजाई कर लो" यानि कि अगर फसल का उचित दाम नहीं मिलता तो बिजाई क्यों करते हो।

इसी प्रकार किसान का देश के विकास के साथ-साथ राष्ट्र की सुरक्षा के साथ भी अटूट रिश्ता है क्योंकि देश की शान के लिए शहादत देने वाले अधिकतर किसानों के सुपुत्र होते हैं जो युद्ध में सदैव अपने प्राणों की आहूति देकर देश की संप्रभुता, अखंडता व स्वतंत्रता को कायम रखते हैं। इस तथ्य को पूर्व प्रधानमंत्री स्व० श्री लाल बहादुर शास्त्री जी भली भांति समझते थे। इसलिए वर्ष 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान देश की जीत के लिए उन्होंने "जय जवान, जय किसान" का नारा देकर सैनिकों का हौंसला बढ़ाया था लेकिन आज किसान संगठनों की राय जाने बिना जिस प्रकार से तीनों कृषि बिल सरकार द्वारा जबरदस्ती से पारित किए गए हैं इस से तो यही लगता है कि जय जवान, जय किसान का नारा भी झूठा है।



शेष पेज-2 पर

शेष पेज-1

यह वास्तविक तथ्य है कि किसान कल्याण के लिए स्थाई व नियमित योजना के बिना राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता और किसान-काश्तकार वर्ग की अनदेखी करके कोई भी राजनैतिक दल सफल नहीं हो सकता। लेखक का अपना अनुभव है कि आजादी के बाद जिस भी राजनैतिक दल ने किसान व किसानों से जुड़े मुद्दों व चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ा वे सदैव सत्ता हासिल करने में सफल रहे। जैसा कि कांग्रेस ने स्व0 श्रीमति इंदिरा गांधी के समय बैलों की जोड़ी चिन्ह से चुनाव लड़ा तो कांग्रेस सत्ता में आई। बाद में जब कांग्रेस को हाथ के निशान का चिन्ह मिला तो पार्टी को मुंह की खानी पड़ी और बाद में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। इसी प्रकार वर्ष 1977 में जय प्रकाश नारायण ने जनता पार्टी से किसान के कंधे पर हल के निशान से चुनाव लड़ा तो पहली बार देश में गैर कांग्रेस सरकार बनी व बहुत से राज्यों में हलदर के निशान से सत्ता हासिल हुई। बाद में किसान हितैषी कई दलों ने किसान व कृषि से संबंधित निशान छोड़कर चुनाव लड़े लेकिन सत्ता से दूर होते रहे। समाजवादी दल ने लालटेन, राष्ट्रीय लोकदल ने नल, राष्ट्रीय जनता दल युनाईटेड ने तीर, आई एन एल डी ने चश्मे व जन नायक जनता दल ने चाबी आदि चुनाव चिन्ह के सहारे सत्ता प्राप्त करने की कोशीश की लेकिन किसान चुनाव चिन्ह व किसान की नीतियों को अपनाए बगैर इन सभी दलों को जनता ने नकार दिया। इसलिए राष्ट्र के सभी राजनैतिक दलों को किसान-कामगार के कल्याण के लिए कारगर नीतियां अपनाकर ही अपना राजनैतिक सफर निर्धारित करना होगा।

यह एक सार्वजनिक तथ्य है कि किसान लंबे समय से सरकार की अक्षम व किसान विरोधी नीतियों के कारण पिछड़ता रहा है। कृषि व्यवस्था के सुधार के लिए अभी तक मूलभूत सुविधाएं जैसा कि खाद-बीज की समय पर उचित दामों पर व्यवस्था, किसानी उपज के लिए स्थाई तौर से एम एस पी, प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि उपर पर मुआवजा आदि की कोई नियमित तौर से प्रावधान निश्चित नहीं है जिस कारण किसान की आर्थिक स्थिति बदतर होती जा रही है। किसान का कोई मजबूत संगठन नहीं है और इसके हितों की पैरवी करने वाला कोई निष्पक्ष व एकछत्र नेतृत्व नहीं है जिस कारण किसान हित की आवाज उठाने वाले हर आंदोलन व विरोध को सरकार के दमनकारी कार्यवाही से दबा दिया जाता है। हरियाणा जैसे छोटे से प्रांत में आज भी 5 लाख 97 हजार 464 किसान कर्जदार हैं। राष्ट्र

में आज किसानों पर 12 लाख 60 हजार करोड़ का ऋण है जिसका ब्याज तक चुका पाना किसानों की कमर तोड़ रहा है जिससे साल में करीब 1200 किसान आत्महत्या करते हैं। यह तथ्य भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में भी लिखित में दिया है। एक सर्वे के अनुसार गत 20 वर्षों में 3,48,538 किसानों ने आत्महत्या की अर्थात् 45 आत्महत्याएं प्रतिदिन के हिसाब से हुई। बिजाई के समय अच्छी गुणवत्ता व क्वालिटी के खाद-बीज तक उपलब्ध नहीं होते हैं। 51 से ज्यादा ऐसे पेस्टीसाइड हैं जो विश्व के अन्य देशों में प्रतिबंधित हो चुके हैं लेकिन भारत में व्यापारियों की मिलीभगत से बेचे जा रहे हैं। इसलिए सरकार द्वारा सन 2022 तक किसान की आय दुगुनी करने का दावा भी झूठा लगता है।

माननीय प्रधानमंत्री चुनाव से पहले वर्ष 2014 में कहा था कि किसानों की फसल के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी, पहली कलम से किसानों के कर्जे माफ होंगे, काला धन खत्म कर हरेक नागरिक के खाते में 15 लाख रूपया जमा किया जाएगा, सालाना 2 करोड़ के राजगार दिए जाएंगे लेकिन परिणाम से कोसों दूर है।

इसके साथ ही केंद्र सरकार ने किसानों की सहमति के बिना कृषि से संबंधित तीन बिल-आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020, कृषक उपज, व्यापार और वाणिज्य (सर्वधन और सरलीकरण) विधेयक 2020 तथा कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन व कृषि विधेयक के नाम से बहुमत के बल पर पास कर दिए, जो कि पूर्णतया किसान विरोधी हैं और भारतीय संविधान के अंतर्गत लिस्ट-II (राज्य सूचि) में राज्यों के अधीन वर्णित हैं जो कि प्रदेश सरकारों के अधिकारों पर अतिक्रमण करके केंद्रीय सरकार द्वारा पास कर दिए गए। ये कानून केंद्रीय संघीय प्रणाली के विरुद्ध हैं जिनको पास करने के लिए किसानों, कृषि विशेषज्ञ और राज्य सरकारों की कोई राय नहीं ली गई। राष्ट्र के मुख्य खाद्यान उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा के किसान संगठनों व सरकारों से भी इन बिलों पर कोई राय नहीं ली गई जिस कारण सारे राष्ट्र में इनका भारी विरोध हो रहा है। पंजाब में तो इन कृषि विरोधी अध्यादेशों के विरोध में 5 दशक से अधिक समय तक वर्तमान केंद्रीय सरकार के साथ गठबंधन धर्म निभाने वाले शिरोमणी अकाली दल द्वारा समर्थन वापिस ले लिया गया और पंजाब सरकार ने तो इन तीनों कृषि बिलों को रद्द करके अपने अलग से कृषि विधेयक पास कर दिए। किसानों द्वारा रेल रोको, धरने, प्रदर्शनों द्वारा रोष व्यक्त किया जा रहा है और हरियाणा, पंजाब में अनेक स्थानों पर पुलिस द्वारा किसानों पर लाठी चार्ज व मुकदमों भी दर्ज किए

गए हैं, अनेकों किसान विरोध प्रदर्शनों में हादसे के शिकार हो चुके हैं लेकिन इसके बावजूद भी सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

ये तीनों कृषि बिल पूर्णतया कृषि व्यवस्था के खिलाफ हैं जिसमें अनेकों खामियां हैं। इनके तहत सरकार द्वारा फसलों की खरीद प्राइवेट सैक्टर के हवाले कर दी जाएगी जो कि अपनी मर्जी से गुणवत्ता को आधार बनाकर कम अनाज खरीदेगी। प्राइवेट कंपनियां मंडी के बाहर बिना कर दिए अनाज खरीदेगी जबकि मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। बिल में एम एस पी के भुगतान की कोई गारंटी नहीं दी गई तो प्राइवेट सैक्टर इसके लिए बांध्य कैसे होगा। कृषि अध्यादेशों में बिजली, खाद पर सब्सिडी आदि का कोई जिक्र नहीं है। किसानों को बहकाया जा रहा है कि उर्वरक, बीज आदि पर बाद में राहत दी जाएगी जिसकी कोई गारंटी नहीं है जबकि पाल हाउस व काफी कृषि यंत्रों पर किसानों को सब्सिडी वर्षों से बकाया है। कृषि बिलों द्वारा आढ़तियों को नकारा जा रहा है जबकि बहुत से अवसर जैसे शादी, मृत्यु और अन्य आपात स्थिति में बैंकों की लोन देने की कोई व्यवस्था नहीं है जबकि आढ़ती दुख-सुख, संकट के हर समय किसान की मदद करता है।

वर्ष 1955 में जमाखोरी व कालाबाजार को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बनाया था और अब इस बिल में सरकार ने संशोधन करके खाद्यान्न, दालें, खाद्य तिलहन और तेल, आलू, प्याज आदि को अधिनियम के दायरे से बाहर करके आम उपभोक्ता पर असहनीय प्रहार किया है जिसका सीधा फायदा उद्योगपतियों, कालाबाजारियों व जमाखोरों को होगा क्योंकि बिल में हुए संशोधन से भंडारण व किमतों पर कोई अंकुश नहीं लग सकेगा। इस बिल की धारा 8-ए में कहा गया है कि कानून के तहत जमीन को पट्टे पर नहीं लिया जा सकेगा, वहीं धारा 8-बी द्वारा भूमि पर कंपनी द्वारा स्थाई चिनाई, भवन निर्माण या जमीन में बदलाव आदि का कोई जिक्र नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि खेती किसान नहीं अनुबंध करने वाला कर रहा है। इस अध्यादेश के तहत किसानों को फसल तैयार करने से पहले ही खरीद कंपनियों से इकरार करना होगा जिससे किसान को कंपनी से उचित शेयर मिलने की उम्मीद बहुत कम है और मंडी की उचित व्यवस्था के लिए स्थापित कृषि उत्पाद मार्केट कमेटी की शक्तियों कम करके अथवा छीनकर खरीद का कार्य नीजि व्यापारियों को दे दिया जाएगा जिससे कृषि अध्यादेशों के तहत असंगठित मार्केट से बिचौलियों को मुक्त करना और भी मुश्किल होगा और इससे असंगठित बिचौलियों की एक

नई श्रेणी और पैदा होगी जो कि सरकारी लाईसैंसधारक ना होते हुए भी व्यापारी वर्ग के मार्केटिंग ऐजेंट का काम करेंगे। और कोई भी कृषि या गैर कृषि व्यापार इन मध्यस्थों के बिना नहीं चलेगा। यहां तक कि वित्तीय व्यापारिक कार्य भी इन्हीं मध्यस्थों के माध्यम से होंगे और किसानों को इनके हस्तक्षेप से आजाद करना मुश्किल होगा।

इसके साथ ही इंडस्ट्रीयल रिलेशंस कोर्ड बिल 2020 द्वारा सरकार ने इंडस्ट्री कार्यकर्ताओं व कृषि पर आधारित श्रमिकों के अधिकारों पर भी नियंत्रण लगा दिया है। नए एक्ट के अनुसार 300 कार्यकर्ताओं वाली इंडस्ट्री मालिक को किसी भी कार्यकर्ता को हटाने या हड़ताल आदि से रोकने व फैक्ट्री के संचालन में कार्यकर्ताओं पर कोई भी शर्त लागू करने का पूर्ण अधिकार होगा और इसके लिए उन्हें श्रम विभाग से कोई निर्देश या गार्डिलाइंस लेने की जरूरत नहीं जबकि पहले 100 वर्कर वाले उद्योग या युनिट में संचालन तथा वर्करों की नियुक्ति, छंटनी आदि के लिए श्रम विभाग के निर्देशों का पालन करना जरूरी था। नए कानून के अनुसार फैक्ट्री का कोई भी कर्मचारी 60 दिन के अग्रिम नोटिस के बगैर अपने हक के लिए हड़ताल नहीं कर सकता और ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिब्यूनल के समक्ष सुनवाई के दौरान व फैसला आने के 60 दिन बाद तक भी अपने हक के लिए कोई दावा नहीं कर सकेगा। सरकार के इस फरमान से श्रमिकों की बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी और यह श्रमिकों के रोजगार सुरक्षा पर गहरा आघात है जिससे कृषि पर आधारित उद्योगों व अन्य उन्नत उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की दशा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

वरिष्ठ पत्रकार साबा नकवी ने टिप्पणी की है कि इन अध्यादेशों को सरेआम गली-गली में हो रहे विरोध के बावजूद सरकार ने ध्वनि मत से इन कृषि विरोधी कानून को मुख्य व्यवसाय कृषि पर थोप दिया है। सरकार ने इन कानूनों द्वारा भारतवर्ष को एक महान लोकतंत्र बनाने वाली कृषि संस्था को शक्तिहीन व अर्थहीन बना दिया है। इसके साथ ही बहुमत के आधार पर कार्यपालिका का प्रयोग वैधानिक शक्ति के तौर पर करके न्यायपालिका को कमजोर किया जा रहा है जो कि किसानों के साथ-2 लोकतंत्र के लिए खतरा है। एक पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री ने भी माना है कि इन अध्यादेशों के खिलाफ किसान वर्ग व जनहित से जुड़े वर्गों में काफी भ्रम बना हुआ है और सरकार इस गलतफहमी को क्लीयर करने की बजाए सरकार संसद के अंदर व बाहर इन विभाजित व कृषि विरोधी नियमों पर विचार करने की बजाए इनकी प्रतिरक्षा व वैधता सिद्ध करना चाहती है।

केंद्रीय सरकार की ये धारणा है कि नए कृषि कानून द्वारा किसानों को मध्यस्थों (आढ़तियों) के चुंगल से मुक्त करेंगे लेकिन सवाल उत्पन्न होता है कि क्या किसान आढ़तियों से तालमेल छोड़ पाएंगे क्योंकि किसान के लिए हर समय आढ़ती का सहयोग जरूरी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व० श्रीमति सुषमा स्वराज ने भी व्यक्तव्य दिया था कि किसान व आढ़ती का कृषि व कृषि जरूरतों को पूरा करने में घनिष्ठ संबंध होता है। दूसरा यह भी तथ्य है कि ये कृषि कानून किसी भी प्रकार से किसानों को कार्पोरेट वर्ग के एकाधिकार से मुक्त नहीं कर सकते जो कि बी जे पी नेतृत्व की सौम्य दृष्टि से एक सैक्टर से दूसरे सैक्टर में आसानी से फैलता जा रहा है। एम एस पी की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करवाने के इलावा कृषि क्षेत्र के लिए राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक सहायता व व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के लिए भी किसानों को संघर्ष करना होगा क्योंकि कृषि क्षेत्र में लगातार कम हो रहे सरकारी निवेश, बढ़ रही उत्पादन की लागत और कृषि के लिए कम हो रही सब्सिडी से कृषक वर्ग को चिंता सता रही है कि सरकार द्वारा कृषि के लिए तय किया गया अंतिम मुख्य साधन यानि न्यूनतम समर्थन मूल्य धीरे-2 खत्म कर दिया जाएगा।

कृषि व्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार कृषि उत्पाद मार्केट समितियों की स्थापना वर्ष 1939 में तत्कालीन युनियननिष्ठ पार्टी के विकास एवं कृषि मंत्री स्व० चौधरी छोटू राम द्वारा की गई थी और पंजाब कृषि उत्पाद मार्केट एक्ट के तहत मार्केट समितियों की व्यवस्था की गई थी जिनमें मंडियों की कार्यप्रणाली तथा व्यापारियों की कारगुजारियों पर नजर रखने हेतु दो तिहाई किसान प्रतिनिधि शामिल किए गए थे। ये मंडियां एम पी सी मंडियों के नाम से जानी जाती थी। धीरे-2 लगभग सभी राज्यों द्वारा अनाज मंडियों की व्यवस्था के लिए तथा मंडियों से बाहर मार्केट यार्ड या अधिसूचित क्षेत्रों में कृषि उत्पाद बेचने हेतु अपने ए पी एम सी कानून बनाए जाने लगे। कृषि उत्पाद के लिए महत्वपूर्ण एम एस पी जिसकी संशोधित बिलों में सरकार कोई लिखित जिम्मेवारी नहीं ले रही है इसका प्रावधान भी अमेरिकन कृषि विशेषज्ञ डा० फ्रांक डबल्यू पारकर द्वारा किया गया था जिसको जून 1964 में तत्कालीन खाद्य एवं कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम द्वारा लागू किया गया था। अतः मजबूत कृषि व्यवस्था के लिए एमपीएमसी व एम एस पी को सरकार द्वारा स्थाई तौर से लागू करने की आवश्यकता है जो कि वर्तमान कृषि कानूनों द्वारा कमजोर की जा रही है। यदि सरकार वाकई न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी) को बरकरार रखना

चाहती है जैसा कि सरकार द्वारा किसानों व विरोधी दलों के विरोध के उत्तर में दावा किया जा रहा है तो इसको नए कृषि कानूनों में लिखित प्रारूप क्यों नहीं शामिल किया गया कि किसी भी नीजि व्यापारी या संस्था द्वारा खरीद फरोखत तभी मान्य होगी जब किसान को दी जाने वाली कृषि उपज की कीमत एम एस पी के बराबर या अधिक होगी। एम एस पी मूल्य संकेत का एक महत्वपूर्ण रि-मीटर है और उचित कीमत संकेत के बिना किसान को कृषि उत्पाद की कीमत के पोषण का भारी खतरा रहता है।

ए पी एम सी द्वारा संचालित किसान मंडियों की अपर्याप्त संख्या राजनैतिक हस्तक्षेप व उत्पादन संघों के नियंत्रण के कारण ज्यादा मददगार व उपयोगी सिद्ध नहीं हो रही हैं। मंडियों में सुधार की प्रक्रिया 2 दशक से चल रही है। इस संदर्भ में कृषि विशेषज्ञ समिति ने सन् 2000 में रिपोर्ट पेश की थी और तब से सन् 2003, 2007 व 2013 में सरकारों द्वारा तीन विभिन्न माडल ए पी एम सी अधिनियम व वर्तमान सरकार द्वारा 2017 में अधिनियम बनाकर सुधार की प्रक्रिया शुरू की गई जिनका कोई विरोध नहीं हुआ लेकिन वर्तमान कृषि विधेयकों द्वारा मंडी व्यवस्था के अस्तित्व को लेकर किसान वर्ग में रोष चरम सीमा पर है जबकि सरकार द्वारा मंडियों से बिचौलियों के हस्तक्षेप को खत्म करने का दावा किया जा रहा है।

एक सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्र में 86 प्रतिशत किसानों के पास 2 हैक्टेयर कृषि जोत से भी कम भूमि है। कृषि जोत लगातार खंडित हो रही है। वर्ष 2010-11 में 138 मिलीयन कृषि जोत बढ़कर वर्ष 2015-16 में 146 मिलीयन हो गई। छोटे काश्तकारों के पास बेचने के लिए बहुत कम उत्पादन ही बचता है और वे घर खर्च को चलाने अथवा कर्ज की अदायगी के लिए धान, गेहूं आदि के कुछेक बैग ही बेच पाते हैं। यह भी वास्तविकता है कि केवल 6 प्रतिशत किसान ही कृषि उत्पाद मार्केट कमेटी यार्ड में अपना उत्पाद बेच पाते हैं जबकि 94 प्रतिशत किसानों को मार्केट यार्ड के बाहर स्थानीय व्यापारियों, सहकारी समितियों अथवा प्रोसैसर को बेचना पड़ता है। बहुत से राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में ए पी एम सी की कोई व्यवस्था नहीं है और किसान को अपना उत्पाद बाहरी व्यक्तियों को बेचना पड़ता है। ए पी एम सी की संख्या भी राज्यों में भिन्न-2 है जैसा कि हरियाणा में 106, पंजाब में 145 व तामिलनाडू में 283 जबकि मुख्य फसल धान व गेहूं का 70 प्रतिशत उत्पादन केवल पंजाब व हरियाणा में होता है जो कि सरकारी ऐजेंसी मुख्यतः एफ सी आई द्वारा खरीदा जाता है। वर्ष 2019-20 में तामिलनाडू में

कृषि उत्पाद मार्केट कमेटीयों का सभी फसलों का टर्न ओवर केवल 129.76 करोड़ है और महाराष्ट्र में एक किसान को मार्केट कमेटी यार्ड ढूँढने के लिए औसतन 25 किलो मीटर जाना पड़ा। वर्ष 2016 में राष्ट्रीय कृषि मार्केट द्वारा मंडी व्यवस्था में खामियां दूर करने के लिए 6900 कृषि उत्पाद मार्केट समिति जोड़ने का लक्ष्य रखा गया जिसमें केवल 1000 समितियां ही राष्ट्रीय कृषि मार्केट में बढ़ाई गई। राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों के अनुसार 80 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक किसान मंडी होनी चाहिए जबकि 435 वर्ग किलो मीटर में केवल एक मंडी है।

किसानों के कृषि उत्पाद की मार्केट व्यवस्था की कार्यक्षमता को बरकरार रखना आवश्यक है जिसके लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा पब्लिक वितरण सिस्टम के साथ-साथ कृषि उत्पाद मार्केट की स्थापना के लिए कमर्शियल खरीद करना जरूरी है और खाद्यान्नों की व्यवसायिक संचालन के लिए नया राष्ट्रीय कृषि फूड निर्यात उद्योग स्थापित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सरकार द्वारा कृषि कानूनों के विरुद्ध लगातार बढ़ रहे रोष स्वरूप किसानों के आंदोलन का शांतिपूर्ण व कानूनी दायरे में किसान संगठनों के साथ समाधान किया जाना चाहिए। किसानों, मजदूरों व व्यापारियों के शांतिपूर्वक व अधिकारिक विरोध को बलपूर्वक व दमनकारी कार्यवाही से दबाना उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। किसान-मजदूर राष्ट्र के विकास के मुख्य स्तंभ हैं और सरकार की किसान विरोधी नीतियों से किसान वर्ग की पहले से ही हालत दयनीय है, जिससे उभारना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, न कि इन बिलों के तहत किसानों का शोषण करके। विवादित कृषि कानूनों में संशोधन कर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देनी होगी। इसके इलावा किसानों की एक न्यूनतम आय सुनिश्चित किए

जाने की जरूरत है। किसानों के लिए न्यायोचित व लाभप्रद समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के साथ ही क्षेत्रिय स्तर पर किसान को सीधे उपभोक्ता से जोड़ने के प्रयास करने होंगे। कृषि के विकास हेतु स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना अति आवश्यक है। किसान के खेत में कटाई के लिए तैयार/पकी हुई फसल के आग लगने, बाढ़ ओलावृष्टि आदि किसी भी प्राकृतिक कारण से हुई हानि पर सरकार द्वारा तुरंत मुआवजा दिए जाने व नुकसान की भरपाई करने का प्रावधान होना चाहिए। जैविक, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर एक टिकाऊ खेती के बारे में सोचना होगा और खेती के लिए उपयुक्त बीज, खाद, पेस्टिसाइड आदि तथा अन्य नवीन तकनीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। प्राकृतिक आपदा से किसानों फसल के नुकसान के मुआवजे, पशुधन की हानि आदि की भरपाई के लिए स्थाई कृषि नीति बनाकर किसान आपदा कोष स्थापित किया जाए। किसान खेत स्कूल विकसित कर प्रभावी कृषि विस्तार सेवाओं को किसान तक पहुंचाना होगा और लघु, सीमांत व किराए पर जमीन से लेकर खेती करने वाले किसानों के लिए भी बैंकों से आसान कर्ज उपलब्ध करवाने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर मौसम आधारित पूर्वानुमान जानकारीयां, उपयोग करने लायक कृषि सलाह, जलवायु अनुकूलन बीज आदि किसानों तक पहुंचाने के बारे में पहले करनी होगी।

डॉ० महेंद्र सिंह मलिक

आई.पी.एस. (सेवा निवृत्त)

पूर्व पुलिस महा निदेशक हरियाणा,

प्रधान अखिल भारतीय शहीद सम्मान संघर्ष समिति एवं

जाट सभा, चंडीगढ़ व पंचकुला

Who was Mahadev Desai ?

- Ramniwas Malik

When we talk of freedom struggle, we remember only few names like Lokmanya Tilak, Mahatma Gandhi, Sardar Patel, Subhas and Jawaharlal Nehru. There are many others who lost their lives by committing violent activities (Bhagat Singh, Khudiram Bose, Chapplekar brothers, Balwant Khadge, Chander Shekhar Azad et all) for national cause or during police firing, or pursuing Satyagraha movements. There were others who spent lives in jails for long spells. It is doubtful if the government has catalogued their names and raised the memorials for them. The term Saheed

or Martyr refers people who sacrificed their lives for a noble cause and remained unknown and unsung on the pages of history. Mahadev Desai was one such great human being whose name has been destined to the dustbin of history.

Mahadev was born on 1 st January 1892 in village Saras of Surat district of Gujarat. His father was a school teacher with a salary of ?40 per month. . His mother died at the age of 7. He was married at the age of 13. Mahadev was very brilliant in his studies and stood first in the school while passing matric exam

at the age of 14. He could pursue his studies in Elphinstone college in Bombay because his friend Lalubhai Mehta sacrificed his scholarship for him. He postponed his LLB studies for a year because of financial constraints and did some odd job for a year. He won a prize of ₹1000 from Forbes Society in Gujrat for doing the best translation into Gujراتi of a book titled "On Compromise" by Lord Morley. This enabled him to complete his L. L. B. studies.

Mahatma Gandhi had returned from South Africa in January 1915. He set up his temporary Ashram in a building in Ahmadabad. Mahadev and his friend Narhari Parekh visited Gandhi Ji in his Ashram and discussed with him his future programs very analytically. He returned home completely mesmerised and decided to spend rest of his life under the Master. Finally Gandhi Ji too was impressed with his simplicity, brilliance, wisdom, sensibility, straight forwardness, frankness and told him, "You are the youngman of my dreams whom I can trust and keep my personal secretary, confidante, conscientious keeper, peacemaker, caretaker, adviser, chastiser, companion.-- all rolled into one." He took him and his wife Durga to Champaran (the first successful experiment of Satyagraha and that added magnetism to his personality) in November 1917. This visit was the stepping stone for his lifelong association with Gandhi Ji and Mahadev fulfilled this responsibility with aplomb. When Gandhi Ji was arrested at Palwal in 1919, he officially declared Mahadev his personal secretary.

Gandhi Ji started his first nationwide non-cooperation movement on 1st August 1920 (the day Lokmanya Tilak died.) Motilal borrowed the services of Mahadev to run his newspaper "Independent" in Allahbad. Both father and son (Jawahar) were arrested. The office of the newspaper was sealed by the police. Still Mahadev edited and printed the paper on the cyclostyled machine. Very soon he too was arrested and released only after the movement was withdrawn on 7th February, 1922 because of Chauri-Chaura massacre of 24 constables by the incensed crowd of the village. Soon after the withdrawal, Gandhi Ji was charged with treason and sentenced for six years imprisonment but released only after two years in 1924. Mahadev remained with him in jail too. There was a quiescent period between 1922 and 1929. Mahadev translated the autobiography of Gandhi Ji "My Experiments with Truth" from Gujراتi to English in

1925. Later he translated Jawaharlal's autobiography from English to Gujراتi. He also started editing two newspapers of Gandhi Ji - Navajivan and Young India. He worked hard with Sardar Patel during Bardoli Satyagraha in 1928 and earned a lot of respect. Gandhi Ji gave the title of Sardar to Vallabh Bhai Patel after the success of this movement. Mahadev also travelled 242 miles with Gandhi Ji in his famous Dandi March on March 12, 1930, got arrested and remained with him in prison for 9 months. He went along with Gandhi Ji to London to attend Round Table Conference in August 1931. He was there when Gandhi Ji had a tiff with the King during the evening tea ceremony.

Gandhi Ji was arrested along with Sardar Patel on 4th January 1932 soon after his arrival from England and Europe on 28th December 1931. Mahadev was not to be left behind. Gandhi Ji and Sardar Patel and Mahadev were put in Yeravda jail in Poona. Gandhi Ji was released and rearrested and put in Belgaon jail and released finally in July 1934. Mahadev gave him the company there too.

Peace prevailed again for the next five years. Elections were held for provincial legislatures in 1937 under the provisions of 1935 Act. Indian leaders could now become Premiers and form governments in the Provinces. So the Act granted 50% independence to India. There was also the provision to form the Central government by Indian leaders under the umbrella of the Viceroy but the Congress did not bother to do so because it objected to grant of one-third seats to Princes and that too through nomination. This anachronism could have been avoided had Congress discussed the issue with Prime Minister Baldwin who worked very hard to get the Act through against the stiff opposition from Churchill and his tribe. This could be the dawn of Dominion Status like the one in Australia, New Zealand and Canada - an anti-chamber to complete independence.

Congress won the elections with thumping majorities in all the provinces except Panjab and Bengal. For example, Gobind Vallabh Pant became the Premier of U. P. and Sir Sikander Hyat Khan in Panjab. Congress Ministries and Union Ministry in Panjab provided the real Ramrajya for two years. But the good work being done went upside down when Germany attacked Poland on 1st September 1939. England declared war against Germany too. The Viceroy Lord Linlithgow asked Congress for extending unconditional support for war efforts as it did during

first World War. Congress asked for two concessions I. e. Complete independence after the war and an interim government till then to execute the war. Government refused both ..Congress Ministries resigned in October 1939.

This was what the government wanted and started playing divide and rule policy openly to the chagrin of Congress leaders. Limited Satyagraha was launched in October 1940. Gandhi Ji along with other leaders and 20000 Congress workers were again imprisoned for 14 months and then released. Finally Gandhi Ji launched Quit India movement on 8 th August 1942 and delivered the famous speech calling for displaying 'Do or Die' 'spirit before a mammoth crowd in Bombay.

Surprisingly, Gandhi Ji and other Congress leaders were arrested at 4 a. m the very next day. . Gandhi Ji, Kasturba Ji, Dr. Sushila Nayar, Sarojini Naidu, Piarey Lal Nayar and Mahadev were interned in Aga Khan Palace located near Poona. Government in London also worked on the proposal to send all the top leaders to a hotel in Nyasaland for indefinite detention. But the proposal dropped considering it to be counter productive.

As usual, on 15 th August, Mahadev, got up at 4--30 a. m. in the morning and did all the chores for Bapu and had a morning walk with him. He then went to his room and started editing and typing a letter of Gandhi Ji addressed to the Viceroy. He then suddenly collapsed and died instantaneously due to myocardial infraction. Gandhi Ji took his body in his arms till arrangements for cremation were made. He washed his entire body himself. Sushila recited Shalokas of Bhagvat Geeta. Finally he was cremated in a nearby open space. Gandhi Ji paid visits to the place of cremation twice daily and prayed and remembered Mahadev for 26 months of his prison stay. Durga and Narayan (now 18) were in Sewagram Ashram along with others.

Now Pyareylal took the duties of Mahadev. Gandhi Ji could control himself but not Kasturba Ji. It took sometime for the sad news to come out. Every body who knew Mahadev was shocked. Thousands of letters of condolence started pouring to Gandhi Ji in Aga Khan Palace and to Durga Desai in Sewagram as if a star has fallen from the sky.

What makes so special about Mahadev Desai were many extraordinary traits of his personality. His

devotion to Gandhi Ji and to the cause of Indian freedom was total. He nursed his Guru like Florence Nightingale throughout his association of 25 years with him. He went to jail as many times as Gandhi Ji did. He was a bridge between various leaders and Gandhi Ji. He kept his wife and son in Sewagram. He kept perfect record of all the activities, conferences, conversations and dialogues of his Master in his diaries. This record was published posthumously in 25 volumes. Every author derived material copiously from the diaries to write books on Gandhi Ji. He also wrote many books like Geeta according to Gandhi, Story of Bardoli, Geeta Darshan. He was also editing the two journals of Gandhi Ji. Every leader who knew Mahadev Desai, used to comment surprisingly, " How does he get so much time to read so many books and write so beautifully, redraft so many letters in a day and nurse the man of varied habits some having an element of idiosyncrasies." He spent the entire spare time in England for searching new books. In 1938, Mahadev had a breakdown due to overwork and still refused to take a holiday. Gandhi Ji then remarked, " You have become a work maniac. If anything happens to you, I will be a bird without wings. "The most glowing tribute came from Verrier Elwin, an anthropologist working in India. He wrote, " Through his clear, clean, idiomatic English style, Mahadev had made Gandhi, perhaps the best known and loved man in the world. The punctual, vivid, intimate stories that appeared week by week in young India and Harijan made them the most readable journals in India. He was known for his generosity, wit, goodness and very self effacing character. For two decades, he was the most important man in the life of the most important Indian. There was no room for selfishness and egotism in his attitude. He was too busy to be mean. " Gandhi Ji also said, "The most impressive characteristic of his persona was that he could reduce himself to zero. " This is how the promising life of an erudite nationalist was cut short at the ripe age of 50. Both the dates of his birth and passing away fall on very auspicious days of Indian calender.

His son Narayan died in March 2015 at the age of 90. He lead the life of a true Gandhian and wrote a four volume biography of Gandhi Ji. He remained Chancellor of Gujrat Vidyapeeth also

As a fitting tribute, kindly send this story of this multifaceted man to all your friendly groups.

लोकबन्धु राजनारायण मन-वचन-कर्म व आत्मा से संघर्षशील समाजवादी थे,

चौधरी चरण सिंह के हनुमान रहे - वे आन्दोलनों के जीवित रूप थे:

— डॉ० दुर्गपाल सिंह सोलंकी

“महान समाजवादी विचारक व राजनेता स्वर्गीय राजनारायण जी का सम्पूर्ण जीवन बड़े संघर्षों में गुजर गया। अन्याय, अत्याचार व भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे। सत्ता-शासन-प्रशासन से जनहितों के लिए संघर्षरत रहना उनकी जिन्दगी का ध्येय बन गया था। व्यक्तिगत रूप से वे बड़े मिलनसार, ईमानदार, विनम्र और विनोदी स्वभाव के थे। अपने साथी-सहयोगियों और कार्यकर्ताओं का दिल जीत लेते थे। गरीब, असहाय व उपेक्षितों की सहायता करने में वे अपना सर्वस्व समर्पित कर देते थे। ऐसा निर्भीक, धुरन्धर और बेलौस राजनेता मिलना मुश्किल है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री के रूप में ऐलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी डाक्टरों के लिए एक समान वेतन लागू किया। जन स्वास्थ्य रक्षक पद सृजित कर शहर-गांव-गली-गली में जनता के स्वास्थ्य रक्षा की प्रारम्भिक व्यवस्था का एक कीर्तिमान स्थापित किया। वे गरीब, मजदूर और अल्पसंख्यकों के मसीहा थे। उनके हृदय में उनके लिए बड़ा दर्द था, उनके निवारण के लिए हर समय प्रयासरत रहते थे।”

राजा महेन्द्र प्रताप, दीनबन्धु सर छोटूराम व चौधरी चरण सिंह किसान क्रान्ति ग्राम्य सुराज मिशन के अध्यक्ष, शिक्षाविद् प्रोफेसर डॉ० दुर्गपाल सिंह सोलंकी ने विनोदी स्वभाव के महान समाजवादी चिन्तक लोकबन्धु श्री राजनारायण की राजनीतिक कार्यशैली पर सम्पन्न विचार-संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में सम्बोधित कर रहे थे। अध्यक्षता राजनारायण के साथी रहे स्वतंत्रता सेनानी तेजसिंह वर्मा 'सौनिगा' ने की। संचालन इतिहासविद् प्रो० अरुण प्रताप सिंह 'चमन' ने किया।

उत्तर प्रदेश राज्य शासन द्वारा पुरुस्कृत प्रधानाचार्य, उ०प्र० माध्यमिक प्राचार्य संघ, मथुरा के अध्यक्ष डॉ० महीपाल सिंह ने कहा कि राजनारायण आत्मा से समाजवादी थे और गरीबी को मिटाना चाहते थे। वे किसान मसीहा चौ० चरण सिंह के हनुमान रहे। प्राध्यापक जतीश कुमार उपाध्याय ने कहा कि शोषित समाज व कहीं मानवता पर

अत्याचार होने पर राजनारायण तुरन्त वहां पहुंच कर समाधान का प्रयास करते थे। अ.भा. जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय महासचिव वीरपाल सिंह ने कहा कि उन्होंने सदैव जातिवाद, क्षेत्रवाद व साम्प्रदायिकता के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। समाजवादी विचारक डॉ० दौलतराम चतुर्वेदी ने कहा कि राजनारायण ऐसे नेता थे जिनकी कथनी और करनी में लेशमात्र भी अन्तर नहीं था। किसान व मजदूरों की पीड़ा को दूर करने में हमेशा आगे रहे। प्रोफेसर सुधीर प्रताप सोलंकी ने बताया कि वे स्पष्टवादी थे। वे अपने मित्रों व सहयोगियों की आलोचना उन्हीं के सामने करने में हिचकिचाते नहीं थे। वरिष्ठ शिक्षाविद् डा० श्रीमती सुधार सिंह ने कहा कि उन्होंने जिस मशाल को प्रज्वलित किया, उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। अजीत अत्री ने कहा कि वे सत्ता के नहीं, अपितु सेवा के पुजारी थे। पी.के. राजौरा ने कहा कि राजनारायण आत्मबल के धनी थे। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, परन्तु उनके विचार हमारा मार्ग दर्शन करते रहेंगे।

विचार-संगोष्ठी में सर्व श्री राजेश पचौरी, आर. के. अग्रवाल, पूरन सिंह, जे.के. पाराशर, बच्चू मीणा, दिनेश सिंह, अरविन्द सिंह, श्याम तोमर, जेपी शर्मा पंतजलि, श्री कृष्ण यादव, श्री शिविन्द्र वघेल, राजेन्द्र प्रताप प्रेमी, आचार्य सोहनलाल, उ० देव प्रकाश शर्मा, प्रेमजीत, अजीत सोलंकी, संजय सिंह, भूपेश गोयल 'वेरीवाल', महेश पचहरा, कर्नल ओमलाष, बनवारी पौनिया, कंछी सेठ, अनिल सारस्वत, दलीप सिंह, बलवीर उटौरा, के.के. सिंह, रनवीर कमान्डो, ओमप्रकाश सिंह, पंकज चौधरी, सुशील कुमार, रामसिंह नेताजी, श्रीमती दुर्गेश कुमारी, बिमलेश सिंह, सविता चौधरी, तनुराज सिंह, नेहा सिंह, अर्चना देवी, राहुल सोलंकी, संजीव कुमार, अशुमन सिंह, अंकुर-अंकित ने राजनारायण के व्यक्तित्व व कृतित्व के विचारों पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धाजलियां-भावांजलि अर्पित कीं। अरुण प्रताप ने आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया।

1957 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव

— प्रोफेसर रणबीर सिंह

अकाली दल और हरियाणा प्रांत फ्रंट की पंजाब सूबे और हरियाणा प्रांत की मांग को राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा अस्वीकर करने के बाद हरियाणा में तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन अकाली दल ने जन आंदोलन शुरू कर दिया। इसके बाद समझौते के तौर पर क्षेत्रीय फार्मूला लागू किया तथा पंजाब को पंजाबी और हिंदी क्षेत्रों में बांट दिया गया और दोनों के लिए अलग-अलग स्वतंत्र कमेटियां बनाकर विधायकों को उनका सदस्य बनाया गया। इन कमेटियों को कुछ विधायी शक्तियां भी दी गईं। विधानसभा और इन कमेटियों में मतभेद होने पर निर्णय लेने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया। सच्चर फार्मूला जारी रहा, जिसके तहत पंजाबी बहुल क्षेत्रों में पहली कक्षा से और हिंदी भाषी क्षेत्र में पांचवी कक्षा से पंजाबी अनिवार्य कर दी गईं। पंजाबी क्षेत्र में वर्तमान पंजाब के क्षेत्र को शामिल किया गया। हिंदी क्षेत्र में वर्तमान हरियाणा में पुराने शिमला, कांगड़ा और लाहौल स्पिति जिलों को शामिल किया गया। इस समझौते के बाद अकाली दल और हरियाणा प्रांत फ्रंट का कांग्रेस में विलय हो गया। इस पृष्ठभूमि में हरियाणा क्षेत्र में 1957 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वर्चस्व बना रहा। कांग्रेस हिसार, गुरुग्राम, करनाल, अंबाला और रोहतक की लोकसभा सीटें जीतने में सफल रही। हिसार से लाला अंचित राय, गुरुग्राम से राव गजराव सिंह, करनाल-अंबाला सामान्य सीट से सुभद्रा जोशी और आरक्षित क्षेत्र से चुन्नी लाल और रोहतक से चौधरी रणबीर सिंह चुने गए, लेकिन सोनीपत-झज्जर-रेवाड़ी से सीपीआई के चौधरी प्रताप सिंह दौलता ने बाजी मारी। विधानसभा चुनाव में भी इस क्षेत्र की 54 सीटों में से भी कुछ को छोड़कर बाकी जगह कांग्रेस का दबदबा रहा। जनसंघ के डॉ. मंगलसेन रोहतक से चुने गए। दादरी सामान्य से चौधरी अतर सिंह और दादरी आरक्षित से जनसंघ के शीशराम ने चुनाव जीता। राई से सीपीआई के हुकम सिंह और झज्जर आरक्षित से इस दल के फूल सिंह चुने गए। डॉ. अंबेडकर की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के चमेल सिंह बुटाना से, इंद्र सिंह श्योकंद नरवाना से और इंद्रजीत मलिक जींद से चुने गए। समालखा से निर्दलीय उम्मीदवार धर्म सिंह राठी विजयी रहे। गौरतलब

है कि इस चुनाव में कांग्रेस हाईकमान ने प्रो. शेर सिंह और चौधरी देवीलाल का टिकट काट दिया। प्रो. शेर सिंह का टिकट मंत्री रहते हुए अपनी विवेक राशि में से झज्जर गुरुकुल को चंदा देने के कारण कटा। पार्टी ने इसे सांप्रदायिक माना। चौधरी देवीलाल पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने किसी अपराधी को शह दी थी, लेकिन वैद राम दयाल का चुनाव अवैध ठहराए जाने के बाद हुए उपचुनाव में उन्हें पार्टी ने टिकट दे दिया और वो विजयी रहे। चुनाव में जनसंघ का प्रभाव शहरों में पंजाबियों तक सीमित रहा। राई से हुकम सिंह और सांपला में जैलदार सूरजभान की जीत में दहिया खाप की अहम भूमिका रही वहीं दादरी सामान्य से अतर सिंह और दादरी आरक्षित से शीश राम के चुनाव में श्योराण खाप का विशेष योगदान रहा। अन्य निर्दलीय और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार अपनी साख और अनुसूचित जातियों के समर्थन के कारण जीते। गौरतलब है कि सीपीआई के सांसद और विधायक कुछ समय के लिए कांग्रेस में चले गए थे। जनसंघ के अतर सिंह और शीशराम व इंद्र सिंह श्योकंद को छोड़कर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के विधायक भी सत्ताधारी दल कांग्रेस में चले गए। धर्म सिंह राठी को छोड़कर अन्य निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस से जा मिले। दलबदल इस प्रक्रिया का प्रमुख कारण रहा। उस समय हरियाणा में विचारधारा की राजनीति की बजाए सत्ता की राजनीति हावी रही। 1957 के चुनाव के बाद प्रताप सिंह कैरो एक बार फिर पंजाब के मुख्यमंत्री बने। हरियाणा क्षेत्र से उन्होंने रेवाड़ी के अहीर नेता राव विरेंद्र सिंह को चौधरी देवीलाल के प्रतिनिधि के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसके अलावा जमींदारा पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए चौधरी सूरजमल को भी मंत्री बनाया गया। 1961 में मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो और चौधरी देवीलाल में मतभेद होने के कारण राव विरेंद्र सिंह को तत्कालीन राज्यपाल नरहरी गडगिल ने मुख्यमंत्री की सलाह पर बर्खास्त कर दिया था। 1957 और 1961 के बीच हरियाणा की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण घटना हिंदी रक्षा आंदोलन (1957) का शुरू होना था। इस आंदोलन का वर्तमान हरियाणा ही नहीं पूरे तत्कालीन पंजाब की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा।

हरियाणा में निजी टीचर ट्रेनिंग कॉलेजों के फैलाव की समीक्षा का समय

— उदय सिंह फोगाट

एक समय था जब प्रदेश में एक ट्रेड टीचर को सीधे साक्षात्कार के माध्यम से नौकरी मिलती थी। 1980 दशक के मध्य तक तो प्रायः सभी प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी संबंधित रोजगार कार्यालय से अपने गृह जिले के स्कूलों में ही समायोजित हो जाते थे। साल दो साल की सेवा अवधि के बाद प्रायः सभी सरकारें यथासमय तदर्थ आधार पर हुई नियुक्तियों को नियमित करने की परंपरा का पालन भी करती थी। न्यायालय का दखल लगभग शून्य था। इसलिए नहीं कि बेरोजगारी की समस्या नहीं थी, बल्कि इसलिए कि टीचर ट्रेनिंग संस्थानों तथा उनमें स्वीकृत सीटों की संख्या का नियमन शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की होने वाली संभावित मांग के अनुरूप होता था।

धीरे धीरे शिक्षा का विस्तार रफ्तार पकड़ने लगा और शिक्षकों की बढ़ती मांग को देखते हुए शिक्षित बेरोजगारों का रुझान बीएड व जेबीटी कोर्स की ओर बढ़ने लगा। निजी क्षेत्र के स्वार्थपरक दबाव तथा भ्रष्ट शासकीय तंत्र के घालमेल की नजर शिक्षित युवाओं के टीचर ट्रेनिंग के प्रति बढ़ते रुझान पर पड़ी। बस फिर क्या था। नीतिगत सरकारी फैसलों के तहत थोक में निजी बीएड व जेबीटी (डीएड) कॉलेज खोलने अनुमति दी जाने लगी। राज्य के गत कांग्रेस शासन में 2005 से लेकर 2014 तक निजी कॉलेजों की अंधाधुंध स्वीकृति के कारण इनकी संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई।

हैरानी की बात है कि वर्ष 2019 में बीएड तथा जेबीटी कोर्स के दाखिले के लिए प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार सरकारी बीएड व एडिड कॉलेजों की कुल संख्या 19 व उनमें 1980 सीटें हैं। सालाना फीस रुपये 1200—रुपये 1600 है। 58615 सीटों के साथ निजी बीएड कॉलेज 478 हैं और उनकी सालाना फीस रुपये 44000 है। सरकारी जेबीटी कॉलेज केवल 06 व निजी कॉलेजों की संख्या 336 है। सरकारी फीस मात्र रुपये 4500 तथा निजी कॉलेजों की फीस रुपये 25800 है। दोनों दो वर्षीय कोर्स हैं। आज के दिन लगभग 5 लाख ट्रेड जेबीटी व बीएड रोजगार की तलाश में हैं। इनमें 90 हजार जेबीटी और करीब इतनी ही संख्या में बीएड, टीचर पात्रता परीक्षा, एचटेट भी पास हैं। इसके विपरीत जुलाई 2020 में आरटीआई से मिली सूचनानुसार, राज्य के समस्त सरकारी स्कूलों में टीजीटी के लिए कुल स्वीकृत पदों की संख्या केवल 18757 तथा जेबीटी के कुल

स्वीकृत पद 41261 हैं। जबकि प्रतिवर्ष 76895 टीचर पदों को देने की नीतिगत शासकीय व्यवस्था है।

यदि रोजगार के उपलब्ध अवसरों को देखें तो फिलहाल टीजीटी के मात्र 1137 पद ही एचएसएससी के अधीन चयन प्रक्रिया में हैं। उधर जेबीटी की तो बीते सात सालों से कोई भर्ती ही नहीं हो रही। निजी क्षेत्र के स्कूलों में भी कमोबेश नए रोजगार के सीमित ही अवसर हैं। बहरहाल टीचर ट्रेनिंग के प्रति युवाओं का उत्साह कम होने लगा। परिणाम स्वरूप निजी प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिला घट कर 50 प्रतिशत से भी कम रहने लगा। तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा इसका संज्ञान लेते हुए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ टीचर एज्युकेशन (2009) ड्राफ्ट तैयार किया गया। उद्देश्य था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को बेहतर शिक्क पदों को देने का सुझाव देना। परिषद ने सुझाव प्राप्त किए और विचारोपरान्त बीएड कोर्स की एक वर्षीय अवधि बढ़ा कर सत्र 2015-16 से दो वर्षीय कर दी। अंदर खाते उद्देश्य था कि निजी कॉलेजों में घटते मुनाफे को कैसे रोका जाए। और अब खबरें हैं कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस समस्या का स्थायी हल निकालते हुए बीए बीएड व बीएससी बीएड कोर्स के लिए प्लस-2 के बाद चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है।

वर्ष 2008 तक जेबीटी कोर्स में दाखिले लिखित परीक्षा के आधार पर होते थे। अतः सभी डिप्लोमा प्राप्त युवाओं को देर सवेर रोजगार मिल जाता था। निजी कॉलेजों का सिलसिला शुरू होने के बाद दाखिले के लिए परीक्षा की बाध्यता समाप्त कर दी गई। अब परीक्षाएँ तो होती हैं, पर ट्रेनिंग पूरी होने के बाद। एचटेट की परीक्षा का आयोजन प्रतिवर्ष बिना किसी भर्ती के हो रहा है। करीब 4.5 से लेकर 5 लाख ट्रेड टीचरज इसमें भाग लेते हैं। भर्ती के समय पुनः परीक्षा ला जाती है। और इंतहा तो तब होती है जब इस परीक्षा में असफल प्राथियों के एचटेट प्रमाण पत्र स्वतः ही बिना साक्षात्कार का अवसर मिले रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं। भर्ती के बाद संदिग्ध चयन प्रक्रिया के चलते निरंतर न्यायालय की दखल हो रही है। और अनियमितताओं के रहते कई वर्षों के इंतजार के बाद हुई भर्तियाँ एक लंबे अंतराल के बाद नई भर्ती के आदेश के साथ रद्द कर दी जाती हैं। इन्हीं कारणों के लेकर 1983 बर्खास्त अभागे पीटीआई सड़क पर हैं। इसी प्रकार करीब 3000 वर्ष 1999-2000 में बहुचर्चित

घोटाले से लगे जेबीटी तथा 12000 के करीब सीधे शासकीय फरमान से लगे गेस्ट टीचर्ज निरंतर आज तक भय व अनिश्चितता की स्थिति में हैं। इसके अलावा फरवरी 2021 तक करीब दो हजार और दिसंबर तक 45 हजार एचटेट पास युवाओं का सर्टिफिकेट एम्पायर हो जाएगा। जबकि 2800 के करीब निर्धारित आयु सीमा (42 प्लस 5) पार कर जाएंगे। अतः बेरोजगार युवा इसी दुष्क्रम में निरंतर मानसिक उत्पीड़न व घोर निराशा का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं।

ऐसे में स्वभाविक है कि लोकहित में बनने वाली सरकारों के लिए कुछ प्रश्न उभर कर सामने आ रहे हैं।

9) क्या प्रदेश में सस्ती व उत्कृष्ट सेवा दे रहे 1980 सीटों वाले 19 सरकारी तथा एडिड कॉलेज, जो आज निजी कॉलेजों के बेतहाशा फैलाव के कारण संकट में हैं, पर्याप्त नहीं थे ? 2) और क्या शासकीय तंत्र निजीकरण के संरक्षण व संवर्धन के प्रति अपने उत्साह को लेकर एक माफिया की भूमिका में तो नहीं ?

जाड़े आ गए हैं खूब खाएं सुपरफूड बाजरा

बाजरा हरियाणा के खान पान में बसी चीज है। समय के साथ बेशक गेहूं का प्रयोग बढ़ा हो लेकिन हमारे बुजुर्ग इसके महत्व को जरूर समझ गए थे। बाजरे को अक्सर एक सुपरफूड (पोषण तत्वों से भरपूर अनाज) के रूप में देखा जाता है तथा इसका उत्पादन टिकाऊ कृषि एवं विश्व स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। बाजरे से जुड़े बहुआयामी लाभ तथा मुद्दे, पोषण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा प्रणाली एवं किसानों के कल्याण से संबंधित मुद्दों को संदर्भित करते हैं।

इसके अलावा बाजरे से जुड़ी कई अनूठी विशेषताएँ हैं जो भारत की विभिन्न कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल हैं और इसे एक प्रमुख फसल के रूप में संदर्भित करती हैं। इन सब कारकों के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2018 को पहले ही बाजरे के राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया जा चुका है तथा साथ ही भारत द्वारा वर्ष 2023 को 'बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष' के रूप में घोषित करने का आह्वान किया गया है।

हालाँकि एक सुपरफूड के रूप में इसके महत्व को स्वीकार करने के बावजूद इसके प्रति एक आम धारणा बनी हुई है कि बाजरे को 'गरीब व्यक्ति के भोजन' के रूप में देखा जाता है। इसलिये मोटे अनाज एवं बाजरे जैसे पोषक तत्वों से भरपूर अनाजों को पुनः बढ़ावा देने के साथ उनके उत्पादन एवं खपत पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

वर्तमान में भारत में उगाई जाने वाली तीन प्रमुख बाजरा फसलों में ज्वार, बाजरा और रागी शामिल हैं। इसके साथ ही भारत में जैव-आनुवंशिक तौर पर विविध और देशज किस्मों के रूप में छोटे बाजरे की विभिन्न किस्मों जैसे- कोदो, कुटकी, चेन्ना और सानवा को प्रचुर मात्रा में

उगाया जाता है। भारत में बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्यों में राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा शामिल हैं।

बाजरे की उपज को बढ़ावा देने की आवश्यकता है क्योंकि ये क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप है। बाजरे की फसल प्रतिकूल जलवायु, कीटों एवं बीमारियों के लिये अधिक प्रतिरोधी है, अतः यह बदलते वैश्विक जलवायु परिवर्तनों में भुखमरी से निपटने हेतु एक स्थायी खाद्य स्रोत साबित हो सकती है। इसके अलावा इस फसल की सिंचाई के लिये अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है जिस कारण यह जलवायु परिवर्तन एवं लचीली कृषि-खाद्य प्रणालियों के निर्माण के लिये एक स्थायी रणनीति बनाने में सहायक है।

पोषण सुरक्षा बाजरे में आहार युक्त फाइबर भरपूर मात्रा में विद्यमान होता है, इस पोषक अनाज (बाजरे) में लोहा, फोलेट, कैल्शियम, जस्ता, मैग्नीशियम, फास्फोरस, तांबा, विटामिन एवं एंटीऑक्सिडेंट सहित अन्य कई पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये पोषक तत्व न केवल बच्चों के स्वस्थ विकास के लिये महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वयस्कों में हृदय रोग और मधुमेह के जोखिम को कम करने में भी सहायक होते हैं। ग्लूटेन फ्री एवं ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कमी से युक्त बाजरा डायबिटिक/मधुमेह के पीड़ित व्यक्तियों के लिये एक उचित खाद्य पदार्थ है, साथ ही यह हृदय संबंधी बीमारियों और पोषण संबंधी दिमागी बीमारियों से निपटने में मदद कर सकता है।

आर्थिक सुरक्षा: बाजरे को सूखे, कम उपजाऊ, पहाड़ी, आदिवासी और वर्षा आश्रित क्षेत्रों में उगाया जा सकता है।

इसके अलावा बाजरा मिट्टी की पोषकता के लिये भी अच्छा होता है तथा इसकी फसल तैयार होने में लगने

वाली समयावधि एवं फसल लागत दोनों ही कम हैं। इन विशेषताओं के साथ बाजरे के उत्पादन के लिये कम निवेश की आवश्यकता होती है और इस प्रकार यह किसानों के लिये एक स्थायी आय स्रोत साबित हो सकता है।

बाजरे का नियंत्रित उत्पादन:

हरित क्रांति: हरित क्रांति के समय खाद्य सुरक्षा के लिये गेहूँ और चावल जैसी अधिक उपज वाली किस्मों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस नीति का एक अनपेक्षित परिणाम यह सामने आया कि बाजरे के उत्पादन में धीरे-धीरे गिरावट आने लगी। इसके अलावा गेहूँ और चावल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से प्रदान की जाने वाली लागत प्रोत्साहन राशि ने भी बाजरे के उत्पादन को हतोत्साहित किया।

प्रसंस्कृत खाद्य की मांग में वृद्धि, इन सब के साथ-साथ भारत में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड और रेडी-टू-ईट उत्पादों के लिये उपभोक्ता मांग में उछाल देखा गया जिनमें सोडियम, चीनी, ट्रांस-वसा और यहाँ तक कि कुछ कार्सिनोजन (कैंसर उत्पन्न करने वाले तत्व) की उच्च मात्रा विद्यमान होती हैं।

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के गहन विपणन के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों जैसे-प्रसंस्कृत चावल व गेहूँ की मांग में भी वृद्धि होती जा रही है।

दोहरा दवाब, माताओं एवं बच्चों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के साथ-साथ मधुमेह एवं मोटापे जैसी बीमारियाँ उत्पन्न होने के कारण एक प्रकार का दोहरा दवाब उत्पन्न हो गया है।

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, भारत सरकार द्वारा बाजरे के एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है, जिससे किसान बाजरा उत्पादन के लिये प्रोत्साहित होंगे।

इसके अलावा बाजरे की उपज के लिये एक स्थिर बाजार प्रदान करने के लिये भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बाजरे को भी शामिल किया गया है।

इनपुट सहायता: बाजरे के उत्पादन के लिये भारत सरकार द्वारा किसानों को बीज किट और इनपुट सहायता के रूप में किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से मूल्य श्रृंखला का निर्माण और बाजरे के लिये बाजार क्षमता को विकसित करने में मदद की जा रही है।

एकीकृत दृष्टिकोण: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कृषि और पोषण के एकीकृत दृष्टिकोण पर कार्य किया जा रहा है जिसके तहत पोषक तत्व-उद्यानों की स्थापना करके फसल विविधता और आहार विविधता के बीच अंतर संबद्धता पर शोध को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा पोषक तत्वों से युक्त अनाज के प्रति उपभोक्ता मांग में वृद्धि के लिये लोगों के दृष्टिकोण/व्यवहार को परिवर्तित करने से संबंधित एक अभियान का संचालन किया जा रहा है। आगे की राह: पूर्व धारणा में बदलाव, बाजरे से संबंधित खपत एवं इसके व्यापार को लेकर जुड़ी सामान्य अवधारणा को परिवर्तित करने के साथ-साथ पोषक तत्वों से भरपूर अनाज के रूप में बाजरे को पुनः एक ब्रांड के तौर पर प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता है।

इसके अलावा नागरिक समाज पोषक युक्त खाद्य पदार्थों को चुनने की दिशा में छोटे-छोटे अभियानों के माध्यम से जन-कल्याण की शुरुआत कर सकते हैं, जो पर्यावरण के लिये हितकर होने के साथ ही राष्ट्र के किसानों की आर्थिक समृद्धि में भी सहायक हो सकते हैं।

गेहूँ और चावल की तर्ज पर बाजरे के लिये एमएसपी बाजरे के उत्पादन एवं उपभोग को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार गेहूँ और चावल की तर्ज पर बाजरे की फसल के लिये भी पायलट आधार पर एमएसपी प्रदान करने का प्रयास कर सकती है।

मिशन मोड पहले भारत सरकार किसानों को भारत के 127 कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिये उनके स्थानीय फसल पैटर्न को संरेखित करने हेतु प्रोत्साहित कर सकती है और स्थानीय स्थलाकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बाजरे की खेती को बढ़ावा दे सकती है।

अंतर-मंत्रालयी दृष्टिकोण: बाजरे को पुनः एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिये एक बहु-मंत्रालयी नीति ढाँचे के निर्माण की आवश्यकता है जिसका उद्देश्य एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना हो, साथ ही आत्मनिर्भर भारत और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये इसका वैश्विक स्तर पर आह्वान किया जाए। निष्कर्ष ये है कि जैसा कि भारत सरकार कुपोषण मुक्त भारत और किसानों की आय दोगुना करने के लिये अपने एजेंडे को प्राप्त करने के लिये प्रयासरत है, वहीं पोषक तत्वों से युक्त अनाजों (बाजरे) के उत्पादन एवं खपत को बढ़ावा देना सही दिशा में एक नीतिगत बदलाव होगा।

चौ० छोटूराम प्रधानमंत्री की हैसियत में

— सूरजभान दहिया

1923 में पंजाब में ग्रामीण एवं किसान हितैषी विचारधारा पर एक राजनैतिक पार्टी — यूनियनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। इस पार्टी का गठन दो महान प्रगतिवादी विभूतियों — फजैल-ए-हुसैन तथा चौ० छोटूराम द्वारा किया गया था। जो पंजाब में जमींदार पार्टी के नाम से लोकप्रिय हुई। फजैल-ए-हुसैन का जुलाई 1936 में निधन हो गया था और इस जमींदार पार्टी का संचालन चौ० छोटूराम को पूरी तरह संभालना पड़ा। 2023 में इस पार्टी का शताब्दी वर्ष है।

1937 में पंजाब कौंसिल के चुनाव हुये। इस चुनाव में यूनियनिस्ट पार्टी ने 101 सीटें, कांग्रेस पार्टी ने 20 सीटें, राष्ट्रीय प्रगतिशील पार्टी ने 15 सीटें तथा मुस्लिमलीग ने 2 सीटें जीतीं। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी जिसके प्रधानमंत्री सिकन्दर हयात खां बने। 1936 से 1945 तक का समय पंजाब के इतिहास में स्वर्गयुग कहा जाता है। यह सब चौ० छोटूराम की बदौलत था। प्रधानमंत्री सिकन्दर हयात खां ने मुक्त कण्ठ से यह तथ्य बार-बार स्वीकार किया था कि देखने और कानूनी रूप में पंजाब का बड़ा मंत्री मैं हूँ किन्तु वास्तव में सारे मंत्रीमण्डल की जान चौ० छोटूराम हैं। इस बात को उनके विरोधी भी खूब जानते थे।

1942 में सिकन्दर हयात खां का निधन हो गया तथा चौ० छोटूराम ने उनकी जगह खिजर हयात खां को पंजाब का प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। वे युवक थे तथा उन्हें राजनीति का इतना अनुभव भी नहीं था, परन्तु उन्हें चौ० छोटूराम का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। खिजर हयात खां को युवासमझ कर जिन्ना ने उन्हें लेखों, भाषणों, धार्मिक उन्माद एवं चेतावनी देकर मुस्लिम लीग में आने के लिये पूरा जोर लगा दिया परन्तु वे असफल रहे। इसी दौरान में खिजर हयात खां के पिता जी का देहांत हो गया तथा चौ० छोटूराम को अस्थायी तौर पर पंजाब के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालना पड़ा।

पंजाब कौंसिल का सेशन चल रहा था। जिन्ना ने मुस्लिम कार्ड खेला — कैसे पंजाब में गैर मुस्लिम प्रधानमंत्री बन गया और कौंसिल के चल रहे सेशन में घुस कर मुस्लिम मैम्बरों को मुस्लिमलीग में आकर मुस्लिम प्रधानमंत्री बनाने का हंगामा खड़ा कर दिया। पंजाब गवर्नर गलैसी ने कौंसिल के सेशन को स्थागित करने को कहा परन्तु चौ० छोटूराम ने अस्वीकार कर दिया। चौ० छोटूराम ने सेशन में एक प्रस्ताव लाया तथा कहा — “यह जमींदार सरकार है मैं अपने मुस्लिम मैम्बर दोस्तों से कहता हूँ कि यह अवसर है कि आप मुझ में विश्वास रखते हैं या मुस्लिमलीग में जाना चाहते हैं — मैं कृत्रिम मित्रता में

विश्वास नहीं रखता जो मुस्लिमलीग में जाना चाहते हैं उन्हें स्वतंत्रता है।” 73 मुस्लिम सदस्यों में से केवल 3 यूनियनिस्ट पार्टी के सदस्य मुस्लिमलीग में गये। गवर्नर अति इससे अचम्बित थे और जिन्ना बहुत शर्मसार। चौ० छोटूराम एक संकटमोचक एवं उच्चकोटी की सियासी हस्ती के रूप में उभरे। उन्होंने पंजाब गवर्नर को एक संदेश भिजवाया कि वे जिन्ना को तुरन्त लाहौर छोड़ने के लिये कहे।

पंजाब के गवर्नर चौ० छोटूराम के इस सन्देश को पढ़कर काफी सहम गये और उन्हें सलाह दी थी कि वे इस आर्डर को वापस ले। क्योंकि जिस प्रकार गांधी हिन्दूनेता हैं उसी प्रकार जिन्ना मुस्लिम नेता हैं। जिन्ना का यह अपमान मुस्लिम समाज में काफी हलचल ला देगा तथा यह बात इंग्लैंड में प्रिवी-कौंसिल में उठाई जा सकती है। चौ० छोटूराम ने अपना आर्डर वापस लेने से मना कर दिया। गवर्नर ने यह आदेश जिन्ना को फोन पर दे दिया। जिन्ना आग बबूला हो गये तथा गवर्नर को कहा कि यह आर्डर वापस लो, चौ० छोटूराम कौन होते हैं जो मुझे पंजाब छोड़ने का फरमान सुनाये। गवर्नर ने जिन्ना को फिर कहा — “ये चौ० छोटूराम के आर्डर हैं और मुझे इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।” जिन्ना को चौ० छोटूराम की शक्ति एवं उनके सख्त प्रशासक के स्वभाव का परिचय था। अतएव वे तुरन्त पंजाब से चले गये, इससे मुस्लिमलीग में मायूसी थी तथा पंजाब की जनता को यह भरोसा हो गया कि चौ० छोटूराम के रहते इस प्रांत में धार्मिक कट्टरता का बिल्कुल वजूद नहीं हैं। अगले दिन अखबार ‘दि-ट्रिब्यून’ में एक कार्टून छपा जिस का शीर्षक था — “रहबरे-आजम ने कायदे-आजम को बम्बई का रास्ता दिखा दिया”।

चौ० छोटूराम अति निर्भीक, नैतिक, ईमानदार, महान प्रशासक, निष्पक्ष एवं अति लोकप्रिय राजनेता थे। उनके शब्दों एवं उनकी वाणी को गवर्नर एवं वायसराय बहुत महत्व देते थे। इंग्लैंड तथा अमेरिका के पत्रकारों ने अपनी टिप्पणियां दी थी — “पंजाब में प्रभावी, लोकप्रिय एवं वास्तविक प्रबल राजनैतिक शक्ति है तो वह है — चौ० छोटूराम” सन् 1926 में हिन्दी के प्रख्यात साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन ने पंजाब से लेकर लदाख की यात्रा की थी। उसमें उन्होंने उत्तर-पश्चिमी पंजाब को भूखा, रुखा, गरीब और मैला-कुचैला प्रदेश कहा है। हरियाली उसमें जहां-तहां ही उन्हें दिखाई दी थी। धनहीन और जल-विहीन इस हरियाणा के इलाके में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार ने चौ० छोटूराम के मस्तिक से उपजी योजनाओं

से ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन किये कि जहां धूल उड़ती थी, वहां खेत लहलहा उठे। उन दिनों पंजाब की डेढ़ करोड़ की आबादी में से एक करोड़ बारह लाख आदमी ऋणग्रस्त थे, परन्तु चौ० छोटूराम के सुनहरे युग की शुरुआत की। चौ० छोटूराम ने इस परिवर्तन पर सिर्फ यही कहा – “मैंने जो करना था कर दिया – आज पंजाब में किसान का राज है – सरकार वही चला रहा

है – वह अन्नदाता भी है और कर्ताधर्ता भी हैं।” आज चौ० छोटूराम को हमसे बिछुड़े हुये 75 वर्ष हो चले हैं, मुझे आप बताये कि इस बालूरेत की धरती पर अवतरित इस दैव्य शक्ति को आप अन्तःकरण से कितना स्मरण करते हैं ? इतिहास को समझना उसे ही कहा जाता है। अपने इतिहास के बारे में अनाड़ी बने रहना हमें ले डूबेगा।

कैश, कास्ट, कम्युनल और क्रिमिनल है: आज की राजनीति

– प्रो० दुर्गपाल सिंह सोलंकी

मथुरा/आगरा। “भारतीय राजनीति का चरित्र अब असहिष्णु हो गया है। राजनीति में अब विरोधी नहीं रहे। अब या तो शत्रु होते हैं या फिर जबरदस्त समर्थक। देश की लोकशाही में आज योग्यता बाधा है। योग्यता और प्रखरता को खतरे की तरह लिया जाता है। नेता के मायने ‘कैश, कास्ट कम्युनल और क्रिमिनल’ में बदल गये हैं। अब राजनीति की गुणवत्ता नेता पर लगे मुकदमों, घोटालों व सीबीआई जांचों में देखी जाती है। राजनीति में बार-बार समझौते करने पड़ते हैं और यहीं बड़ी गलती है। राजनीति नेतृत्व शून्य हो गई है क्योंकि विचार नहीं है। राजनीति की वर्तमान परिपाटी को बदलना आज की महती जरूरत है जिसमें युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो।”

उक्त विचार शिक्षाविद् राजनीतिक विचारक, विश्लेषक एवं संसदीय चुनाव विशेषज्ञ डॉ० दुर्गपाल सिंह सोलंकी ने ‘भारतीय राजनीति में उत्तर प्रदेश की भूमिका’ विषय पर सर छोटूराम स्मृति शिक्षण कक्ष में संपन्न विचार-संगोष्ठी में व्यक्त किये।

प्रो० दुर्गपाल सिंह ने कहा कि प्रदेश ने महान क्रांतिकारी राष्ट्रपति राजा महेन्द्र प्रताप, पं० जवाहर लाल नेहरू, रफी अहमद किदवई, लाल बहादुर शास्त्री, गोविंद बल्लभ पंत, चौ० चरण सिंह, डॉ० हृदयनाथ कुंजरू, बाबू गुलाब राय, प्रकाशवीर शास्त्री, डॉ० संपूर्णानंद, आचार्य नरेन्द्र देव, राजनारायण, वीरेन्द्र वर्मा, डॉ० ऊधम सिंह, पं० दीन दयाल उपाध्याय, टा. गजराज सिंह, पं० कृष्णदत्त पालीवाल, पं० मदन मोहन मालवीय, कुंवर पुष्कर सिंह, कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रो० शिबनलाल सक्सेना जैसे नेता दिये हैं। मुंशी प्रेमचंद, सुमित्रानंदन पंत, डॉ० राम विलास शर्मा, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंशराय बच्चन, राजा लक्ष्मण सिंह, समाजसेवी दानवीर जमींदार टा. नारायण सिंह, पं० हरिशंकर शर्मा, प्रखर प्रशासक वा. दलीप सिंह, इतिहासकार डॉ० ईश्वरी प्रसाद व डॉ० आर्शीवादी लाल श्रीवास्तव, साहित्यकार डॉ० शिवमंगल सिंह जैसी विभूतियों का भी इस भूमि से तालुलक रहा है। इसके बाद भी यदि गंगा के किनारे से यमुना के तट तक भारतीय राजनीति का स्वरूप बिगड़ा है तो इसका कारण मूल्यों का ह्यास है। युवा तुर्क रहे पूर्व

प्रधानमंत्री स्व. चंद्रशेखर ने आपातकाल के अनुभवों पर ‘जेल की डायरी’ लिखी किताब में लिखा है कि राजनीति या तो भ्रष्टाचारी को सुख देती है या फिर शत्रु का नाश कर देती है।

डॉ० दुर्गपाल सोलंकी ने कहा कि आज राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता गैंगवार में बदल चुकी है। जब सत्ता में होता है, वह व्यवस्था को अपने राजनैतिक विरोधियों के लिए नकेल के तौर पर इस्तेमाल करता है। नेताओं को आलोचना करने की आदत हो गई है, लेकिन सहने की आदत नहीं रही है। इंदिरा गांधी तक विरोध की मर्यादाएं थी, लेकिन आज नहीं हैं। हम अतीत की बात करते थकते नहीं हैं, लेकिन वर्तमान का आंकलन करने से डरते हैं।

मुख्य अतिथि एवं मां गायत्री शिक्षा योग संस्थान, पूर्वांचल के अध्यक्ष ठाकुर भगवती प्रसाद सिंह ने अपने सारगर्भित संबोधन में कहा कि समाजवादी नेता एवं विचारक डॉ० राम मनोहर लोहिया पं० नेहरू के खिलाफ चुनाव इसलिए लड़ते थे क्योंकि वे विरोध को एक ताकत देना चाहते थे। डॉ० लोहिया ने अपना जीवन विपक्ष की राजनीति को ओजस्वी बनाने में लगा दिया। अब जाति, धन, बाहुबल, सम्प्रदाय, चरित्र हनन आदि नेताओं के साधन राजनीति के नायक हैं। श्री भगवती जी ने कहा कि सिर्फ गंगा-यमुना को राजनीति में खराबी के लिए दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि इसमें दक्षिण भी कम दोषी नहीं हैं। अतः आवश्यकता और समय की पुकार है कि विशुद्ध राजनीतिक विचारधारा पर आधारित राजनीतिक दल की स्थापना हो जो वर्तमान भारतीय राजनीति को नई दिशा देकर जन-जन की आकांक्षाओं को पूरी करें, तभी नया हिन्दुस्तान बन सकेगा। राजा महेन्द्र प्रताप मिशन, वृदांवन के महासचिव राजेन्द्र प्रताप सिंह प्रेमी ने कहा कि देश में युवाओं की आबादी 54 करोड़ के लगभग है। इस शक्ति को राष्ट्र निर्माण की दिशा में जोड़ा जाये तो समृद्धशाली राष्ट्र के निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय महासचिव प्रधानाचार्य बीरपाल सिंह ने कहा कि आज युवाओं के आदर्श क्रिकेटर और फिल्म स्टार हो गए हैं। ये आदर्शों का भटकाव है। युवाओं को सही दिशा व मार्गदर्शन की भूमिका हमें देनी होगी। समाजवादी विचारक डॉ०

दौलत राम चतुर्वेदी ने कहा कि आज हमारे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन विद्या नहीं। हमें शिक्षा और विद्या का समन्वय कर मूल्य आधारित शिक्षा देनी होगी, तभी राजनीति के क्षेत्र में युवाओं की स्थिति मजबूत होगी। किशोरीमण पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, मथुरा के राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रो० सुधीर प्रताप सोलंकी ने कहा कि ज्ञान केवल भारत के जतीश के पास है और सन 2020 तक हमारा देश पूर्ण स्मृद्ध होकर जगत गुरु बनेगा। विधार्थी कल्याण सभा के अध्यक्ष श्री अजीत कुमार अत्री ने कहा कि कॉलेज और यूनीवर्सिटी ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएटस तैयार करने की फैक्टरियां ही नहीं, वरन् उत्कृष्ट विचारों को उत्पन्न करने वाली शोधशालाएं बनें। सही मायने में शिक्षित वहीं है जो शिक्षा का इस्तेमाल अपना कैरियर के साथ, सामाजिक विषमता को मिटाने के लिए भी इस्तेमाल करता है। प्राध्यापक जतीन उपाध्यक्ष ने कहा कि हिन्दुस्तान पहले शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों का निर्माण करता था, आज मैनेजरो का उत्पादन कर रहा है। हमें नगर-नगर और गांव-गांव जाकर अशिक्षा और कुरीतियों के खिलाफ लोगों को जागृत करना है, तभी राजनीतिक क्षेत्र में उत्साही एवं समर्पित कार्यकर्ता आ सकेंगे। समाजवादी राजेश पचौरी ने कहा कि युवा तन का नहीं, मन की

अवस्था का नाम है। जिस व्यक्ति में देश के प्रति कुछ करने की चाह होती है, वही युवा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तेज सिंह वर्मा ने कहा कि राजनीति से नीति नदारद, रह गया केवल राज, अपनी-अपनी धुन पर बजा रहे, अपने-अपने साज। जब तक राज नेताओं में सेवा ओर समर्पण का भाव नहीं जगेगा, तब तक भारत का भाग्योदय मुश्किल है। अतः राजनीति में परिवर्तन जरूरी है। इतिहासविद कुंवर अरुण प्रताप 'चमन' ने व्यंग्य करते हुए कहा कि-नेता को बादाम, जनता को मूंगफली, नेता को मिठाई, जनता को गुड़ की डली, अब तो बंद होनी चाहिए ये रीति, राजनीति आखिर कब बनेगी, सेवा नीति ? अतः अब नये राजनैतिक संगठन की परम आवश्यकता है।

अध्यक्षीय संबोधन में वरिष्ठ शिक्षाविद डॉ० महीपाल सिंह ने कहा कि युवा अपनी शक्ति को पहचानें। राजनीति के नाम पर होता अब व्यापार, सेवा तो करनी नहीं, जब खाली करे सरकार। युवाओं के आदर्श राजा महेन्द्र प्रताप, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, दीनबन्धु सर छोटूराम, रानी लक्ष्मीबाई, महर्षि दयानंद सरस्वती, छत्रपति शिवाजी, वीर गोकुला, गुरु गोविन्द सिंह, विवेकानंद जैसे महापुरुष होने चाहिए। ये सर्वदा सार्थक एवं प्रासंगिक रहेंगे। इनके आदर्शों-विचारों के आधार पर ही हमारे युवा राजनीति में कीर्तिमान स्थापित कर सकेंगे।

वैवाहिक विज्ञापन

- ◆ SM4 Jat Girl (DOB 21.11.94) (26 Years) 5'7" Qualification MA Political Science. Working in Govt. Service, looking in tricity match. Avoid Gotras: Siwach, Malik, Sandhu. Cont.: 9569854549
- ◆ SM4 Jat Girl (DOB 19.09.90) 5'3" B. Tech., MBA, Working in Moodies Company at Gurugram. Own house at Zirakpur. Father employed in State Bank of India. Avoid Gotras: Deswal, Kadyan. Cont.: 8427945192
- ◆ SM4 Jat Girl (DOB 27.01.94) 26/5'3" M.S.c Physics (Hons) from P. U. Chandigarh, B.Ed. and doing Phd in Physics from P.U. Avoid Gotras:Kadian, Phalswal, Dahiya. Cont.: 9888955626
- ◆ SM4 Jat Girl (DOB 23.08.92) 28/5'2" B. Tech 2nd Position in Electronics & Communications. GATE cleared. Own house at Panchkula. Avoid Gotras: Rathee, Redhu, Balhara. Cont.: 9888146931
- ◆ SM4 Jat Girl (DOB94) 26/5'3" B.E, UIET Chandigarh, M.Tech, PEC Chandigarh. Working in MNC. Avoid Gotras:Bamal, Jaglan, Kaliraman. Cont.: 9815109960
- ◆ SM4 Jat Girl (DOB13.10.91) 29/5'5" BA, LLB (Hons.), LLM in Criminal Law. Diploma in Labour and Administrative Laws. Ph.D in International Law. Employed in Education Department Haryana Government. No dowry please. Own house at Panchkula. Avoid Gotras:Malik, Deswal. Cont.: 9417333298
- ◆ SM4 Jat Girl (DOB 16.05.89) 31/5'4" M.S.c Bio-informatics, M.Sc. Bio-informatics, LLB, LLM, Doing Judiciary coaching. Avoid Gotras:Malik, Dalal, Chhar. Cont.: 9416561936
- ◆ SM4 Jat Girl (DOB 23.08.94) 26/5'2" LLB, LLM, Father in Govt. job. Own house at Zirakpur. Avoid Gotras: Hooda, Ahlawat, Siwach. Cont.: 8360153519
- ◆ SM4 Jat Boy (DOB13.12. 90) 29/5'10" B. Tech. CSE. Businessman, own manufacturing unit of printings & corporate gift items. Avoid Gotras: Punia, Saral, Ghanghas. Cont.: 7986433085, 9888685061
- ◆ SM4 Jat Boy (DOB 24.01.93) 27/6 feet. B.Tech. Employed as Divisional Accountant in AG office, Shimla. Avoid Gotras: Chaudha Rana, Kharb, Rajyan. Cont.: 8527328879
- ◆ SM4 Jat Boy (DOB 13.10.93) 27/6'2" . MBBS. Employed as M.O. in BPSGMC, Khanpur-kalan. Preference Doctor/HCMC/ MBBS. Avoid Gotras: Narwal, Nehra, Chahal. Cont.: 9467567017, 9463391623
- ◆ SM4 Jat Boy (DOB18.09.91) 29/5'9". B.Tech, MBA. Employed as Assistant in Central bank of India. Avoid Gotras: Kundu, Phogat, Ruhil. Cont.: 7696544003
- ◆ SM4 Jat Boy (DOB 10.07.93) 5'8" B. Tech. Working in a reputed Company at Mohali. Own house at Zirakpur. Father employed in State Bank of India. Avoid Gotras: Deswal, Kadyan. Cont.: 8427945192

आर्थिक अनुदान की अपील

आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि जाट सभा चंडीगढ़ द्वारा 6 जून 2019 को गांव कोटली बाजालान-नोमैई कटरा जम्मू में जी टी रोड़ पर 10 कनाल भूमि की भू-स्वामी श्री संतोष कुमार पुत्र श्री बदरी नाथ निवासी गांव कोटली बाजालान, कटरा, जिला रियासी (जम्मू) के साथ लंबी अवधि के लिए लीज डीड पंजीकृत की गई है। इस भूमि का इंतकाल भी 6 जुलाई 2019 को जाट सभा चंडीगढ़ के नाम दर्ज हो गया है। इस प्रकार इस भूमि पर जाट सभा चंडीगढ़ का पूर्ण स्वामीत्व स्थापित हो चुका है। यात्री निवास की साईट की निशानदेही लेकर चार दीवारी बनाने का कार्य चल रहा है। बिल्डिंग के मजबूत ढांचे/निर्माण के लिये साईट से मिट्टी परीक्षण करवा लिया गया है और बिल्डिंग के नक्शे/ड्राईंग पास करवाने के लिये सम्बन्धित विभाग में जमा करवा दिये गये हैं। इसके अलावा जम्मू प्रशासन व माता वैष्णों देवी साईन बोर्ड कटरा को यात्री निवास साईट पर जरूरी मूल भूत सार्वजनिक सेवायें - छोटे बस स्टैंड, टू-व्हीलर सैक्टर, सार्वजनिक शौचालय, वासरूम, पीने के पानी का स्टाल आदि के निर्माण हेतु पत्र लिखकर निवेदन किया गया है। यात्री निवास भवन का निर्माण अक्तूबर 2019 में शुरू किया जा रहा है।

यात्री निवास भवन का शिलान्यास व दीन बंधु चौधरी छोटू राम की विशालकाय प्रतिमा का अनावरण 10 फरवरी 2019 को बसंत पंचमी उत्सव एवं दीन बंधु चौधरी छोटूराम की 136वीं जयंती समारोह के दौरान महामहिम राज्यपाल, जम्मू काश्मीर माननीय श्री सत्यपाल मलिक द्वारा तत्कालीन केंद्रीय मंत्री चौधरी बिरेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीएमओ डा० जितेंद्र सिंह व जाट सभा के अध्यक्ष एवं हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक डा० एम एस मलिक, भा०पु०से० (सेवा निवृत्त) की उपस्थिति में संपन्न किया गया।

यात्री निवास भवन एक लाख बीस हजार वर्ग फुट में बनाया जाएगा जिसमें फैमिली सुईट सहित 300 कमरे होंगे। भवन परिसर में एक मल्टीपर्पज हाल, कांफ्रेंस हाल, डिस्पेंसरी, मैडीकल स्टोर, लाइब्रेरी, बच्चों की प्रतिभा विकास एवं विभिन्न व्यवसायिक व सुरक्षा संबंधी सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग की विशेष सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सुरक्षा सैनिकों, शहीद परिवारों व उनके आश्रितों के लिए मुफ्त त ठहरने तथा माता वैष्णों देवी के श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएगी।

आप सभी से नम्र निवेदन है कि इस कल्याणकारी व पुनित सामाजिक कार्य के लिए स्वेच्छा अनुसार शीघ्र अनुदान देने की कृपा करें ताकि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके जोकि आज सभी के सहयोग से ही संभव हो सकेगा। यदि कोई दानी सज्जन यात्री निवास में कमरे के निर्माण हेतु 5 लाख रुपये या इससे अधिक की राशि दान देता है तो उसका नाम भवन परिसर में उचित स्थान पर अंकित किया जाएगा और उसे भवन में आजीवन मुफ्त ठहरने की सुविधा प्रदान की जाएगी। जम्मू काश्मीर के भाई-बहन व दानवीर सज्जन इस संबंध में चौधरी छोटू राम सेवा सदन के अध्यक्ष श्री सर्बजीत सिंह जोहल (मो०नं० 9419181946), श्री भगवान सिंह उप प्रधान (मो०नं० 8082151151) व केयर टेकर श्री मनोज कुमार (मो०नं० 9086618135) पर संपर्क कर सकते हैं। यात्री निवास भवन के लिए अनुदान देने वाले सज्जनों का उचित विवरण रखा जाएगा और उनका नाम जाट सभा द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका 'जाट लहर' में भी प्रकाशित किया जाएगा। भवन निर्माण की अनुदान राशि चैक, डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 'जाट सभा चंडीगढ़' के पक्ष में जाट भवन 2-बी, सैक्टर 27-ए, मध्य मार्ग, चंडीगढ़ में भेजी जा सकती है अथवा आर टी जी एस की मार्फत सीधे जाट सभा के बचत खाता नंबर 50100023714552, आईएफएससी कोड- एचडीएफसी 0001324 में ट्रांसफर की जा सकती है।

अनुदान की राशि आयकर अधिनियम की धारा 80-जी के तहत आयकर से मुक्त है।

निवेदक : कार्यकारिणी जाट सभा चंडीगढ़/पंचकुला,
चौधरी छोटू राम सेवा सदन, कटरा, जम्मू

सम्पादक मंडल

संरक्षक एवं सम्पादक : डा. एम.एस. मलिक, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त)

सह-सम्पादक : डा. राजवन्तीमान

साज सज्जा एवं आमुख : श्री आर. के. मलिक

प्रकाशन समिति : श्री बी.एस. गिल, मो० : 9888004417

श्री जे.एस. दिल्ली, मो० : 9416282798

वितरक : श्री प्रेम सिंह, कार्यालय सचिव, जाट भवन, चण्डीगढ़

जाट भवन 2-बी, सैक्टर 27-ए, चण्डीगढ़

फोन : 0172-2654932 2641127

Email: jat_sabha@yahoo.com; Website: www.jatsabha.org

सर छोटूराम जाट भवन, सैक्टर-6, पंचकुला

फोन : 0172-2590870, Email: jatbhawan6pkl@gmail.com

चौधरी छोटू राम सेवा सदन, कटरा, जम्मू

Postal Registration No. CHD/0107/2018-2020

RNI No. CHABIL/2000/3469